A 5/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 192/2020

जीसीएमएस नम्बर : 2020/00278

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
मृत वेनाराम पुत्र तिलोक जाति खटीक निवासी रानीकलां, जिला पाली के विधिक प्रतिनिधी 1/1 लीलादेवी पत्नी शिवलाल जाति खटीक निवासी रानीकलां तहसील रानी जिला पाली		1. जीवाराम पुत्र नेताराम जाति देवासी निवासी रानीकलां तहसील रानी जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत रानीकलां

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत।

–: निर्णय :–

दिनांक : 3.6.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जारी मिसल संख्या 26/2016–17 संकल्प संख्या 13(2) दिनांक 05.09.2019 की अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 1 जीवाराम पुत्र नेताराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 12.09.2019 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा वागर एरिया के मास्टर प्लान में स्थित भूखण्ड संख्या 15 का दिनांक 23.11.1975 को प्रार्थी वेनाराम के पक्ष में निःशुल्क पट्टा संख्या 13991 जारी किया परन्तु पट्टे में दर्शाये गये नाप व नक्शे के अनुसार वागर एरिया के मास्टर प्लान में भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण कारण प्रार्थी को उक्त भूखण्ड के एवज में ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1976 में भूखण्ड संख्या 34 निःशुल्क आवंटित कर प्रार्थी को काबिज किया गया जिसके पडौस पूर्व दिशा में माली के बेरे का धोरा व कस्तुरराम माली का मकान, पश्चिम दिशा में घेवरचन्द माली का मकान, उत्तर दिशा में आम रास्ता तथा दक्षिण दिशा में आम रास्ता है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से निर्माण कार्य की स्वीकृति लेकर चारदीवारी निर्माण का कार्य किया। प्रार्थी के आवेदन पर ग्राम पंचायत रानीकलां में वार्ड पंचों द्वारा दिनांक 16.02.2004 को मौका निरीक्षण किया जिसमें अंकितानुसार भूखण्ड पर प्रार्थी काबिज है तथा किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा नहीं है एवं चारदीवारी का निर्माण किया गया है तथा ग्राम पंचायत के पत्रांक 75 दिनांक 26.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अ० जिला कलेक्टर, पाली

02.2004 में स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर कब्जा था। साथ ही भूखण्ड संख्या 33 के धारक घेवरचन्द माली व प्रार्थी ने लिखत समझौता दिनांक 31.03.2005 के द्वारा दोनो भूखण्ड के बीच दीवार निकाली गयी। भूखण्ड संख्या 34 पर गलत रूप से बने जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में सरपंच ने उपखण्ड अधिकारी रानी के समक्ष आवेदन पेश किया जिसे विकास अधिकारी रानी को जाचं हेतु प्रेषित किया गया। जांच रिपोर्ट अनुसार जैर निगरानी पट्टा मिथ्या प्रस्ताव एवं बैठक कार्यवाही का इन्द्राज कर एक ही परिवार के सदस्यों को जारी किये गये है तथा जिनके पक्ष में तथाकथित पट्टे जारी किये गये उसके पूर्व में ग्राम पंचायत रानीकलां में पक्के आवासीय मकान बने हुये है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु दिनांक 09.06.2016 को ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश किया। नियम 145(1) के तहत क्रय के लिये आवेदन पेश होने पर नियम 145(2) के तहत आवेदक,, आवेदन स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करायेगा तथा नियम 145(3) के तहत यदि स्थल नक्शा संलग्न नही है तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये पच्चीस रूपये जमा करवायेगा उसके पश्चात नियम 146 के तहत आवेदन को प्ररूप 21 में रजिस्टर किया जाता है परन्तु जैर निगरानी प्रकरण में ग्राम पंचायत ने किसी भी नियम की विधिवत पालना नहीं की है न ही अप्रार्थी ने अपने आवेदन में प्रस्तावित भूखण्ड के पडौस एवं नाप दर्ज किया है जिससे भूखण्ड की पहचान हो सके। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा नियम 157(1) के तहत जारी कर दिया जबकि नियम 157(1) के तहत केवलमात्र पुराने गृहों के विनियमितिकरण के प्रावधान है जबकि मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का कोई पैतृक पुश्तैनी कब्जा/पक्का मकान स्थित ही नहीं है और न ही अप्रार्थी जीवाराम का मौके पर कब्जा, उपयोग–उपभोग है। नियम 148(1) व 148(2) की विधिवत पालना नहीं की गयी है। जैर निगरानी पट्टे का क्षेत्रफल 2475 वर्गफीट है जो केवलमात्र 200/– में ग्राम पंचायत ने विक्रय कर दिया परन्तु प्रार्थी के अनुसार वादग्रस्त बाडा की बाजारी मित 6,16,671 रूपये थी जिसकी ताईद में सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी का जांच प्रतिवेदन पेश है। अतः जैर निगरानी पट्टे में ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की अक्षरशः पालना नहीं की है इसलिये जैर निगरानी पट्टा खारिज फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2020(1)DNJ (Raj) 201 पेश कर जैर निगरानी को स्वीकार करने निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 को जारी जैर निगरानी पट्टा संख्या 28 तथा प्रार्थी को पूर्व में जारी पट्टा संख्या 13991 में अंकित पडौस एक दुसरे से भिन्न है। प्रार्थी को निःशुल्क पट्टा जारी किया गया था तथा उस पर नियमानुसार प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवाया गया। साथ ही वागर एरिया के मास्टर प्लान में स्थित भूखण्ड संख्या 34 अप्रार्थी का आवंटित हुआ था जिस पर अप्रार्थी का वर्ष 1976 से कब्जा है जिसके पुरे दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गये है। जिससे स्पष्ट है जैर निगरानी भूखण्ड पर अप्रार्थी का कब्जा होने के कारण ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों की पालना करते हुये अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो सही है। प्रार्थी ने राजनैतिक द्वैषभावना से जैर निगरानी प्रस्तुत की है जो परिपोषणीय नहीं होने से निगरानी खारिज फरमावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जारी मिसल संख्या 26/2016–17 संकल्प संख्या 13(2) दिनांक 05.09.2019 की अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 1 जीवाराम पुत्र नेताराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 12.09.2019 के विरूद्ध पेश की है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने का आवेदन दिनांक 09.06.2016 को प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 09.06.2016 को मिसल कायम की जाकर सचिव को नक्शा बनाने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम पंचायत के रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी के सम्बन्ध में आज्ञासूची निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है जिसमें ग्राम पंचायत, प्रार्थी तथा वार्ड पंचों का नाम पेन से अंकित है। साथ ही आज्ञा दिनांक 21.01.2019 तथा 20.02.2019 की कार्यवाही का विवरण एक साथ अंकित किया हुआ है जिसमें भी जैर निगरानी आराजी कहा स्थित है के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है।

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईश्तहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप–22 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी नोटिस पर न तो ग्राम पंचायत के आउटवर्ड नम्बर अंकित है और न ही किसी सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर व उनकी वल्दियत की जानकारी अंकित है। साथ ही मिसल के संलग्न मात्र एक बयान फार्म है और वो भी निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है जिस पर केवल एक अंगुष्ठ निशान है जिससे उक्त बयान फार्म की वैधिकता जाहिर नहीं होती है।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी वेनाराम को अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आंवटन कर प्रार्थी के पक्ष में पट्टा संख्या 13991 निष्पादित किया गया। ग्राम पंचायत रानीकलां की मौका निरीक्षण मौका रिपोर्ट दिनांक 16.02.2004 में स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी को पूर्व पंचायत द्वारा जिस प्लाट पर काबीज किया गया था, उसी जगह पर प्रार्थी काबिज है। यह प्लाट इसी प्रार्थी का ही है अन्य किसी व्यक्ति का इस प्लॉट पर कब्जा नहीं है। जिस पर प्रार्थी द्वारा पत्थर की दो फिट दीवार भी निकाली गई है। प्लान में जिस जगह पर प्रार्थी का नाम दर्ज है प्रार्थी उसी स्थान पर काबिज है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को प्रेषित ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र दिनांक 26.02.2004 के अनुसार" प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा वागर एरिया में प्लाट नं. 34 पर काबिज किया हुआ है प्रार्थी जिस प्लाट पर काबिज है वह प्लाट प्रार्थी को दिया हुआ है। प्लान में भी प्लाट नं. 34 पर नाम दर्ज है। साथ ही इसकी ताईद में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपसी समझौता दिनांक 31.03.2005 एवं प्रार्थी का शपथ पत्र दिनांक 22.03.2018 भी जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थी के कब्जे का समर्थन करता है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को ही जैर आराजी आवंटित की गयी थी जिस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पर प्रार्थी का ही कब्जा है। अतः जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी स्टेशन के द्वारा विधि विरूद्ध जारी पट्टो के सम्बन्ध में 5 पट्टो का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें क्रम संख्या 2 पर अप्रार्थी के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टे का अंकन किया गया है तथा यह भी अंकित है कि उक्त पट्टा संख्या 28 पर वेनाराम पुत्र तिलोकराम खटि निवासी रानीगांव द्वारा कुर्सी तक निर्माण करवाया गया है। समस्त 5 पट्टों की भूमि पडी हुई है। वर्तमान में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का (झौपडा/मकान) बना हुआ नहीं है एवं किसी भी भूखण्ड में रहवास नहीं है। इन पट्टो में पट्टाधारक को लाभ पहुचाने की नियम से नियमों को दर किनार करके वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा जो मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी है। जमीन का विक्रय सार्वजनिक निलामी द्वारा किया जाना था तथा जैर निगरानी पट्टे की डीएलसी दर से वसूल योग्य राशि 6,16,671 रूपये है। इसलिये पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत विधि विरूद्ध है। जो एक ही परिवार को जारी किये गये है। तत्कालिन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए अधिकारिता से बाहर जाकर नियम विरूद्ध उक्त भूखण्ड का पट्टा मात्र दो सौ रूपये में अन्य व्यक्तियों के नाम जारी किये है जो निरस्त योग्य है। अतः नियम विरूद्ध जारी पट्टो को निरस्त कराने की कार्यवाही अपेक्षित है।'' जांच प्रतिवेदन के विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की अक्षरशः पालना नही कर अप्रार्थी संख्या 01 को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारीज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने का आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गयी। मिसल की सम्पूर्ण आज्ञासूची निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है। आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी नोटिस पर न तो चस्पानगी रिपोर्ट का अंकन है और न ही दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर है तथा न ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पुश्तैनी मकान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के दस्तावेजी/साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। साथ ही बयान फार्म भी निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप सुदा है। प्रार्थी को पूर्व में पट्टा संख्या 13991 आंवटित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत रानीकलां की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.02.2004 तथा प्रमाण पत्र दिनांक 26.02.2004 प्रार्थी के जैर आराजी पर कब्जे का समर्थन करते है एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सिद्ध करते है। साथ ही सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी स्टेशन द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय नियम विरूद्ध प्रक्रिया अपनाई जाकर विधिविरूद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जारी मिसल संख्या 26/2016–17 संकल्प संख्या 13(2) दिनांक 05.09.2019 की अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 1 जीवाराम पुत्र नेताराम के पक्ष में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

A4/5

जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 12.09.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि माफिक पालनार्थ सम्बन्धित को भिजवायी जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 3/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)